कार्यालयः प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय,फतेहपुर, उ0प्र0–212601

पत्रांक 2026 /अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0/फतेह0/2025–26 दिनांक 07/03/2026

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ0प्र0 में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुर्नविज्ञप्तिः– (as per NMC New Guideline)

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ0प्र0 में एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु रिक्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एमई0–2/2024/1516 दिनांक–19 जून, 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वाक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एन0एम0सी0 मानको की अद्यतन संस्तुति के अनुसार तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य कार्यालय, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, सभा कक्ष में प्रातः 09:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अग्रिम आदेशों तक सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मलित हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन0एम0सी0 मानको की पूर्ती हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से इन पदों को भरा जा सकता है। जिन विभागो मे आचार्य के पद है उन विभागो मे आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर आचार्य के सापेक्ष सह आचार्य एवं सह आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सह आचार्य के सापेक्ष सहायक आचार्य की भर्ती की जा सकती है। पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.dgmeup.in एवं www.asmcfatehpur.com पर उपलब्ध है।

नोटः– सेवारत अथवा सेवनिवृत इच्छुक संकाय सदस्य 70 वर्ष की उम्र तक आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य एवं प्रांतीय चिकित्सा सेाओं से सेवारत अथवा सेवनिवृत परामर्शदाता डेजिग्नेट सह–आचार्य एवं एवं डेजिग्नेट सहायक अचार्य पद हेतु एन0एम0सी0 के नवीनतम मानक को पूर्ण करने पर पात्र होगें।

Note 1: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of the appointment.

Note 2: (i) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or

(ii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical institution before 08-06-2017 having total experience of four years as Senior Resident; or

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ0प्र0 में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्र0सं0	विशिष्टता का नाम	अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर		
		आचार्य	सह–आचार्य	सहायक आचार्य
1	अस्थि रोग विभाग	01– अनुसूचित जाति	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	–
2	नेत्र रोग	01–आर्थिक रूप से कमजोर	–	–
3	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
4	इमरजेंसी मेडिसिन	01–अनारक्षित	01–अनारक्षित	01– अनुसूचित जाति
5	ई0एन0टी0	01– अनुसूचित जाति	–	–
6	कम्युनिटी मेडिसिन	01–अनारक्षित	01–आर्थिक रूप से कमजोर 01– अनुसूचित जाति	01–अनारक्षित 01– अन्य पिछड़ा वर्ग 01–अनारक्षित 01– अन्य पिछड़ा वर्ग
7	सामान्य मेडिसिन	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01–अनारक्षित 01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01–अनारक्षित 01– अनुसूचित जाति
8	सामान्य सर्जरी	01–अनारक्षित	01–अनारक्षित	01–आर्थिक रूप से कमजोर
9	बाल रोग	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01–अनारक्षित	01–अनारक्षित
10	फिजियोलाजी	01–अनारक्षित	–	01–अनारक्षित
11	फारेन्सिक मेडिसिन	01– अनुसूचित जाति	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01– अन्य पिछड़ा वर्ग
12	रेडियोडायग्नोसिस	01–आर्थिक रूप से कमजोर	01– अनुसूचित जाति	01–अनारक्षित
13	माइक्रोबायोलोजी	–	–	01– अन्य पिछड़ा वर्ग
14	पैथोलोजी	–	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01– अनुसूचित जाति
15	बायोकैमिस्ट्री*	–	01–आर्थिक रूप से कमजोर	01–अनारक्षित
16	मानसिक रोग	–	–	–
17	दन्त रोग	–	–	01– अन्य पिछड़ा वर्ग
18	एनेस्थीशियालोजी	–	01– अन्य पिछड़ा वर्ग	01–आर्थिक रूप से कमजोर 01– अन्य पिछड़ा वर्ग 01–अनारक्षित 01– अनुसूचित जाति
19	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	–	01– अनुसूचित जाति	–
20	फार्माकोलॉजी	–	01–अनारक्षित	–
योग		12	15	20

*केवल मेडिकल अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

Scanned with CamScanner

–:: Qualification::–

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience
Professor (8 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(b) (i) Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized medical college institution. (ii) Specialist Medical Officer of the Armed Forces having at least three years of experience as Associate Professor in the relevant specialty in a teaching hospital of the Armed Forces; and (b) (i) have published at least two research publications after becoming Associate Professor and must be amongst the first three authors; (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training. **Note 1: In the case of Aviation Medicine and Marine Medicine, two years of experience as Flying Squadron for Aviation and two years of experience in a Diving and Escape Training School for Marine medicine, shall be considered equivalent to one-year teaching experience as Associate Professor.** **Note 2: A Senior Consultant, having three years of experience as post graduate teacher of broad specialty or super specialty subject in the National Board of Examination in Medical Sciences recognized Government medical institute shall be eligible to become Professor in a recognized medical institution of the concerned specialty and total number of years of experience as Post Graduate teacher in National Board of Examination in Medical Sciences recognized government medical institute shall be considered as experience as Professor in a recognized medical institution**
Associate Professor (5 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(b) (i) Assistant Professor in the subject for four years in a recognized medical institution or for five years for those appointed directly as Assistant Professor in Government medical institution; or (ii) a Specialist Medical Officer of the Armed Forces, having at least five years of clinical experience in the relevant specialty after obtaining the recognized Postgraduate qualification in the subject, of which at least three years teaching experience as Assistant Professor in a teaching hospital of the Armed Forces; and (b) (i) have published at least two research publications after becoming Assistant Professor and must be amongst first three authors; (ii) have completed the Basic Course in Biomedical Research from a recognized medical institution designated by the Commission; and (iii) shall be required to undergo Basic Course in Medical Education provided their broad specialty subject is covered under undergraduate training. **Note 1: In the specialty of Aviation Medicine and Marine Medicine, maximum of four years' experience in Flying Squadrons and in Diving and Escape training Schools, respectively, will be considered equivalent to two years of teaching experience for becoming Associate Professor.** **Note 2: A non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with ten years of experience in at least 220 bedded Government hospital shall be eligible to become Associate Professor of that broad specialty and on such appointment, shall be required to undergo Basic Course in Medical Education and Basic Course in Biomedical Research within two years of** the appointment
Assistant Professor	MD/MS/DNB/Phd in the Concerned Subject.	(i)One year as Senior Resident/Demonstrator/Tutor in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college after acquiring MD/MS/Phd Degree. **(ii) a non-teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a Government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior Resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or** **(iii) diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical Institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or** **(iv) diploma holders working as Specialist or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government medical Institution running National Board of Examination and Medical Silence recognized teaching programme** **having cumulative experience of six years.**

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0–2,20,000/– सह आचार्यो का नियत वेतन रू0–1,60,000/– तथा सहायक आचार्यो को नियत वेतन रू0–1,20,000/– प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को medical council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions Regulation, 1998 अद्यतन एन0एम0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताए एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

2. शासनादेश संख्या–2282/71–1–2013–जी–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश संख्या–582/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जूलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेंगें।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध होना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होंगें।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पायें जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियमति चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले, उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षको के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक, संविदा काल अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे काल अवधि के लिए कोई भी बोनस देय नही होगें।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नही होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थाई करण का दावा नही करेंगें न ही उन्हे नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नही है, यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
17. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सख्या:– 1/2019/4/1/2002/का–2/ 19टी0सी0–II दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से/ अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

प्रधानाचार्य
अ०श०जो०सिं०अ०ठा०द०सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर

पत्रांक : /अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0/फतेह0/2025–26 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उप प्रधानाचार्य, अ0श0जो0सि0अ0ठ0द0सिं0 चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड मे लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें, तथा साथ ही शोसल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. कुल सचिव/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/सैफई, इटावा/मेरठ/आगरा/ प्रयागराज/झांसी/ गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/बांदा/सहारनपुर/ आजमगढ़ व बदांयू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविलाय, फतेहपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
9. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
10. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

2. शासनादेश संख्या–2282/71–1–2013–जी–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश संख्या–582/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जूलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेंगें।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध होना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होंगें।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पायें जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियमति चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले, उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षको के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक, संविदा काल अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे काल अवधि के लिए कोई भी बोनस देय नही होगें।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नही होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थाई करण का दावा नही करेंगें न ही उन्हे नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नही है, यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
17. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सख्याः– 1/2019/4/1/2002/का–2/ 19टी0सी0–II दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से/ अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
तद्दिनांक

पत्रांकः 3026/अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0चि0म0/फतेह0/2025–26
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उप प्रधानाचार्य, अ0श0जो0सि0अ0ठ0द0सिं0 चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड मे लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें, तथा साथ ही शोसल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. कुल सचिव/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/सैफई, इटावा/मेरठ/आगरा/ प्रयागराज/झांसी/ गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/बांदा/सहारनपुर/ आजमगढ़ व बदांयू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
9. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
10. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
अ0श0जो0सिं0अ0ठा0द0सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

प्रधानाचार्य
अ०श०जो०सिं०अ०ठा०द०सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर

Scanned with CamScanner